भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2407

उत्तर देने की तारीख 04 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों का कल्याण

2407. श्री राजू बिष्ट:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में खेल अवसंरचना सृजन एवं उन्नयन योजना के अंतर्गत इसके सृजन या उन्नयन हेतु प्रारम्भ की गई खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्ष 2019 से खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन हेतु आवंटित, स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई हैं तथा कितनी निधि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): 'खेल' एक राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन सहित खेल के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, यह मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी मूलभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी

वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) और (घ): यह मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है:

i) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम स्कीम का उद्देश्य विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि स्थिति में सुधार, चिकित्सा उपचार, चोटों, खेल उपकरणों की खरीद आदि के लिए बदहाल परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों/परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ii) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित मासिक आय प्रदान करना है। मौजूदा स्कीम के अंतर्गत, पूर्व खिलाड़ियों को 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

iii) उपरोक्त स्कीमों में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	2023- 24 (करोड़ रुपए में)		2024-25 (करोड़ रुपए में)	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम	2.00	0.78	2.00	0.89
मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन	5.50	5.45	4.00	3.82

*****